फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

जयनारायण बनाम मूल्या वगै0

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र अ0धा0 251क आर0टी0ए0 — मु0नं0–65/2023

पीठासीन अधिकारी– यशवन्त मीना (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.09.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि न्यायालय हाजा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 251क आर0टी0ए0 पेश किया गया जिसे दिनांक 15.09.2020 को बउनवानी प्रकरण जयनारायण बनाम मूल्या वगै0 मु0न0 29/2020 दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 818/42 तक जाने हेतु आम रास्ता खसरा नम्बर 177 से अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 43 (जिसके वर्तमान नम्बर 844/43 रकबा 0.04 है0 किस्म गै0मु0 नाला एवं खसरा नम्बर 845/43 रकबा 0.78 है0 खातेदारी भूमि है) एवं खसरा नम्बर 795/44 में होकर रास्ता चाहा गया था पर न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई कर तहसीलदार सिकराय से जवाब तलब कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दिनांक 18.12.2020 को निर्णय पारित करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर डी0एल0सी0 की दोगुनी राशि पर रास्ता स्वीकृत कर दिया गया। उक्त आदेश की अपील अप्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय श्रीमान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष पेश की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 06.10.2022 को निर्णय पारित करते हुए प्रकरण इस न्यायालय को इस आदेश के साथ पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिर्फ पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर रास्ता स्वीकृत किया गया है जो कि उचित नहीं है जबकि ऐसी जांच रिपोर्ट गिरदावर स्तर या उसके उपर के अधिकारी से करवाते हुए मौके की स्थिति को प्राप्त करें एवं अपीलाण्ट का जवाब प्राप्त करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। इत्यादि पर प्रकरण न्यायालय हाजा को पुनः सुनवाई प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान को तलबी सम्मन जारी किए गए। अप्रार्थी संख्या 1 फौत होने की सूचना प्राप्त होने पर कायम मुकामात की कार्यवाही कर विधिक वारिसान को तलबी नोटिस जारी किए गए। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत नाम हजफ किए जाने पेश किया गया जिसमें निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण संख्या 5, 6, 11, 13 विवादग्रस्त आराजी के वर्तमान रिकॉर्ड में खातेदार नहीं होने के कारण पत्रावली में पक्षकार संयोजित रखने का औचित्य नहीं है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त अप्रार्थीगण का नाम हजफ किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 7, 8, 12, 14 की ओर से अधिवक्ता श्री महावीर प्रसाद जैमन द्वारा वकालतनामा एवं जवाब दावा पेश किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1/1 लगायत 1/8, 2 लगायत 4, 9 एवं 10 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 04.09.2024 को अप्रार्थीगण अधिवक्ता श्री महावीर प्रसाद जैमन द्वारा बहस हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने पर भी उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील कुमार गुप्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान कर निवेदन किया गया कि पूर्व में जारी निर्णय सही एवं	

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय (दौसा)

जयनारायण बनाम मुख्य कॉ०, 65/2023

नियमानुसार है जिसको यथावत रखा जाकर पालना हेतु तहसीलदार सिकराय को आदेशित किया जावे तथा डी०एल०सी० की दोगुना राशि प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में तहसील कार्यालय सिकराय में जमा करवाई जा चुकी है। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जा चुका है। प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस का मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली में अप्रार्थीगण की ओर से पेश जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जरिए अधिवक्ता श्री महावीर प्रसाद जैमन द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पत्र में यह तथ्य अंकित किया गया है कि यदि प्रार्थीगण प्रस्तावित रास्ता लेना चाहते है तो रास्ते में आने वाली भूमि के बदले दोगुना भूमि देकर रास्ता ले सकते है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण रास्ते में आने वाली भूमि से दागुने भूमि पर रास्ता देने हेतु सहमत है। लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई नियम/कानूनी प्रावधान पेश नहीं किया गया है जिसमें यह स्पष्ट होता हो कि रास्ते में आने वाली भूमि के बदले दोगुना भूमि पर रास्ता देने का प्रावधान हो। इसलिए दोगुना भूमि दिया जाना न्यायोचित नहीं है। माननीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पत्रावली को इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया गया है कि जांच रिपोर्ट गिरदावर स्तर या उच्च स्तर के अधिकारी से करवाई जावे जिसकी पालना में तहसीलदार सिकराय से रिपोर्ट तलब की गई, संबंधित पटवारी हल्का एवं गिरदावर द्वारा इस आशय की रिपोर्ट तैयार की गई है कि प्रार्थीगण के पास अपनी भूमि तक पहुंचने हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं हैं, तथा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त कोई निकटतम वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं हैं। तथा प्रस्तावित रास्ता जो कि न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 18.12.2020 द्वारा स्वीकृत किया गया है यही रास्ता निकटतम रास्ता है। इसलिए न्यायालय इस विनम्र मत पर है कि प्रार्थीगण की भूमि तक जाने हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित रास्ता ही निकटतम मार्ग है तथा अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में दोगुनी भूमि की मांग की गई है जो कि दिया जाना संभव नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अ०धा० 251क रा०का०अ० स्वीकार कर खसरा नम्बर 795/44 रकबा 2.44 है० में से 136 मीटर लम्बाई एवं 4.5 मीटर चौडाई कुल 612 वर्गमीटर तथा खसरा नम्बर 845/43 रकबा 0.78 में से 48 मीटर लम्बाई एवं 4.5 मीटर चौडाई कुल 216 वर्गमीटर अर्थात 828 वर्गमीटर भूमि डी०एल०सी० की दोगुना राशि (प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में जमा की गई राशि की जांच कर वर्तमान डी०एल०सी० राशि अनुसार गणना कर पूर्व में जमा राशि एवं वर्तमान डी०एल०सी० राशि में अन्तर हो तो उसे जमा कर) पर गै०मु० रास्ता घोषित की जाती है। तहसीलदार सिकराय वर्तमान डी०एल०सी० दर से गणना कर दोगुना राशि प्रार्थीगण द्वारा जमा करवाये जाने पर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। जमा राशि संबंधित खातेदारान को हिस्सानुसार दी जावे। तहसीलदार सिकराय को पालना तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय (दौसा)